हाउस ऑफ कॉमन्स, लंदन में दिनांक 12 सितम्बर 2011 से 16 सितम्बर 2011 तक व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रतिवदेन

सर्वप्रथम, मैं, लंदन में संसदीय प्रशासन संबंधी व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु मुळो मनोनीत करने पर माननीय महासचिव महोदय के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं। इसके साथ ही मैं इसलिए भी उनका धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने प्रशासनिक एवं विधायी विभाग के साथ-साथ हमें भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। इससे पहले मैं सन् 2005 में भी रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री एडमीनिस्ट्रेशन (RIPA) इंटरनेशनल, लंदन में संसदीय प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले चुकी हूं । जो प्रशिक्षण मैंने 2005 में प्राप्त किया था, उसकी पुनरावृत्ति होने पर मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई । पहले हमने पार्लियामेंट में केवल एक दिन House of Lords की proceeding देखी थी और शेष प्रशिक्षण कार्यक्रम RIPA कार्यालय में ही था । लेकिन इस बार सारा कार्यक्रम पार्लियामेंट में ही आयोजित किया गया था ।

लंदन हवाई अड्डे हीथ्रो पर उतरते ही मुळो ऐसा लग रहा था कि मैं एक स्वप्न-सा देख रही हूं ।मैं उस पल को ताजिंदगी नहीं भूल सकती । जब मुळो पता चला कि मुळो हाउस ऑफ कामन्स लंदन में व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में मनोनीत किया गया है तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा । उस समय मैं उस दिन को याद कर रही थी जब मैंने

पार्लियामेंट ज्वाइन किया था । राज्यसभा सचिवालय में नौकरी मिलने पर न केवल निजी जिंदगी में बदलाव आया साथ-ही साथ देश के संविधान को भी समळाने का अवसर मिला ।

हाउस ऑफ कामन्स, लंदन में संसदीय प्रशासन के संबंध में आयोजित व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव बहुत ही सारगर्भित एवं संतोषप्रद रहा । वेस्टमिनस्टर में संसदीय प्रशासन के कार्यकरण के संबंध में बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई जिससे हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला और वहां की संसदीय कार्य प्रणाली विषयक जानकारी भी प्रचुर मात्रा में मिली। वेस्टमिनस्टर में जाकर तो हमारी पुरानी यादें ताजा हो गई । मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकती । पहले दिन वहां पहुंचते ही मुळो अजीब सी अनुभूति हुई और मैं हतप्रभ-सी रह गई ।

श्री मार्क हट्टन, क्लार्क ओवरसीज कार्यालय ने सभी प्रतिभागियों का गर्मजोशी से स्वागत किया । सभी प्रतिभागियों ने अपना-अपना परिचय दिया । मैं श्री हट्टन एवं उनके सहयोगियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं और सहायता के लिए उनका आभार प्रकट करती हूं कि उन्होनें वेस्टमिनस्टर, हाउस ऑफ कामन्स एवं हाउस ऑफ लार्डस का दौरा करने और वहां के अधिकारियों के साथ हमारी मुलाकात करवाने की व्यवस्था की और इस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों में अपनाई जाने वाली प्रथाओं और प्रक्रियाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में हमारी सहायता की।

वहां का Legislative Process और हमारा Legislative Process एक समान है.-

ब्रिटेन में - हाउस ऑफ कॉमन्स - हाउस ऑफ लार्डस - रॉयल एसेंट(Queen)

भारत में - लोकसभा - राज्यसभा - राष्ट्रपति

वहां की संसदीय प्रणाली से संबंधित उनकी कार्यशैली पर विभिन्न वक्ताओं ने पांच दिन तक चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। ब्रिटेन की भी संसदीय प्रणाली लोकतंत्रीय है। दोनों देशों की संसदीय प्रणाली एक समान होते हुए भी कुछ विभिन्नताएं लिये हुये हैं जिसका कि मैं उल्लेख कर रही हूं ।

हाउस ऑफ लार्डस में सभी विधेयकों का पारित होना आवश्यक है लेकिन Supplies & Aids विधेयकों में हाऊस ऑफ लार्डस (HOL) संशोधन नहीं कर सकता और वित्त विधेयक जब वहां हाऊस ऑफ कॉमन्स (HOC) में पास हो जाता है तो HOL को एक महीने में पारित करना होता है । दूसरी बात जो सामान्य विधेयक होते हैं यदि उन्हें हाउस
आफ लार्डस लगातार दो सत्रों तक रद्द कर देता है तो उन्हें रायल एसेंट (Queen) के पास भेजा जा सकता है।

HOL में स्पीकर (जो कि लार्ड चांसलर) होता है) के पास संसद की कार्यवाही को नियंत्रण करने की कोई प्रदत्त शक्तियां नहीं हैं । सभा सदन के नेता के निर्देशन में संचालित होती है ।

जैसे हमारे यहां बजट सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संसद के केन्द्रीय कक्ष में सम्बोधित करते हैं, यह प्रथा वेस्टमिनस्टर संसद में नही है वहां महारानी एलिजाबेथ HOL में ही दोनों सदनों को सम्बोधित करती हैं लेकिन HOL में HOC के सदस्यों के आने का कोई प्रावधान नहीं है । HOC के सदस्य HOL के गेट के बाहर समवेत होते हैं । इसके अतिरिक्त ज्यादातर मंत्री हाउस ऑफ कामन्स से होते हैं और दोनों सदनों के मंत्री एक दूसरे सदनों में नहीं जा सकते । हाउस ऑफ लार्डस का स्पीकर भी मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है। दूसरे, वहां की संसदीय समितियां लगभग भारतीय संसद की कमेटियों की तरह ही काम करती हैं। वहां भी दो प्रकार की समितियां हैं - Standing Committees & Select Committees। द्वितीय वाचन (Second Reading) के बाद विधेयकों को स्थायी समितियों के पास भेजा जाता है । स्थायी समिति द्वारा विधेयक के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद समिति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जबकि हमारे यहां स्थायी समितियॉ एक या दो साल के लिए स्थायी होती है और सदस्य भी वही होते हैं। वहां की हाउस कमेटी को अधिक शाक्तियां प्रदान हैं । अन्य प्रवर समितियों के अनुदान आदि के लिए हाउस कमेटी ही निर्देशित करती है।

ब्रिटिश संसद का संविधान बहुत पुराना और लचीला (Uncodified) है । उसमें संशोधन करने का कोई विशेष नियम या प्रावधान नहीं । वहां सभी महत्वपूर्ण निर्णय रॉयल एसेंट (Queen) लेती है । वहां हाउस ऑफ कामन्स में 646 सदस्य होते हैं जो कि निर्वाचित होते हैं और वेतन एवं अन्य भत्ते पाने के पात्र होते हैं। हाउस ऑफ लार्डस में सदस्यों की

संख्या घटती बढ़ती रहती है । वर्तमान में हाउस ऑफ लार्डस की सदस्य संख्या लगभग 800 है । हाउस ऑफ लार्डस को विशेषज्ञों का चेम्बर (Chamber of Experts) कहा जाता है । उनमें लाईफ पीअर्स्(Life Peers), विधि लार्डस(Law Lords), आर्कबिशप्स और बिशप्स(Archbishops &

Bishops), तथा कुछ वंशानुगत पीअर्स शामिल होते हैं । हाउस ऑफ लार्डस में स्वतंत्र सदस्य भी होते हैं जिन्हें हम क्रासबेंच ग्रुप्स कहते हैं और उनकी संख्या समय-समय पर घटती बढ़ती रहती है। हाउस ऑफ लार्डस के सदस्य अनिर्वाचित होते हैं और उन्हें वेतन नहीं मिलता । वे कतिपय भत्ते यथा दैनिक भत्ता एवं वाहन भत्ता आदि पाने के पात्र होते हैं । हाउस ऑफ लार्डस की अपनी संसदीय समितियां हैं और हाउस ऑफ कामन्स की अपनी। हाउस ऑफ लार्डस की तुलना में हाउस और कामन्स की संसदीय समितियां ज्यादा हैं । वहां संबंधित मिनस्टर को भी समितियों की बैठकों में बुलाने का प्रावधान है ।

दोनों सदनों की अपनी-अपनी बैठकों की अलग-अलग समय-सारिणी होती है। हाउस ऑफ कामन्स की सोमवार और मंगलवार को अपराह्न 2.30 बजे बैठक आरंभ होती है तथा वह रात्रि 10.30 बजे तक चलती है। बुधवार को सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.30 बजे आरंभ होती है तथा सायं 7.30 बजे स्थगित होती है । बुधवार का दिन प्रधानमंत्री के लिए नियत होता है तथा प्रधानमंत्री से आधे घंटे तक प्रश्न पूछे जाते हैं । विपक्ष के नेता को यह अधिकार है कि वह प्रश्न वाले दिन प्रधानमंत्री से छह प्रश्न पूछ सकता है ।गुरूवार को सभा की बैठक प्रात: 10.30 बजे आरंभ होती है तथा सायं 6.00 बजे स्थगित होती है । शुक्रवार

को गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिए जाने की स्थिति में सभा की बैठक प्रात: 9.30 बजे आरंभ होती है तथा अपराह्न 2.30 बजे स्थगित होती है ।

हाउस ऑफ लार्डस की एक वर्ष में 170 बैठकें होती हैं । हाउस ऑफ लार्डस की बैठक सोमवार से वीरवार तक अपराह्न 2.30 बजे आरंभ होती है तथा रात्रि 10.00 बजे स्थगित होती है । शुक्रवार की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे शुरू होती है । प्रश्नकाल में केवल 3-4 मौखिक प्रश्न पूछे

जाते हैं । हमारे यहां 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है वहां 2-3 दिन पहले देने का प्रावधान है ।

इसके अतिक्ति थर्ड चैंबर की परिकल्पना भी है । सभा की बैठक वेस्टमिनस्टर हॉल में होती है। वेस्टमिनस्टर हॉल की बैठकों में विवाद रहित मुद्दे उठाए जाते हैं । इससे न केवल किसी विषय पर विस्तार से चर्चा होती है बल्कि जनहित में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये जाते हैं जिससे लोकतंत्रीय परम्परा को बल मिलता है । साथ ही ऐसी प्रणाली से जो छोटे-

छोटे घटक या दल के सदस्य होते हैं उनको चर्चा में भाग लेने के लिए काफी समय मिल जाता है।

दिनांक 12-13 सितम्बर को हमें हाउस ऑफ कामन्स के बारे में अलग अलग वक्ताओं से विस्तृत जानकारी मिली और 14-15 सितम्बर को हमने हाउस ऑफ लार्डस में बिताये। हमें हाउस ऑफ लार्डस की कार्यवाही देखने का भी मौका मिला । सुश्री जाना पॉल ने हमें ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के संबंध में एवं वहां की समितियों के बारे में विस्तार से बताया।

ब्रिटेन में हाउस ऑफ कामन्स एवं हाउस ऑफ लार्डस की अलग-अलग लायब्रेरी हैं जबकि हमारे यहां एक ही लायब्रेरी है जो कि लोकसभा सचिवालय का एक अंग है ।

ब्रिटेन में रिपोर्टिंग एवं एडीटिंग की व्यवस्था एक है जबकि हमारे यहां लोकसभा एवं राज्यसभा में दोनों की अलग अलग व्यवस्था है । दिन की कार्यवाही को सरकारी रिपोर्ट में मुद्रित किया जाता है वहां रिपोर्टर्स को हंसार्ड कहा जाता है ।

जहां तक सचिवों की कार्यप्रणाली का प्रश्न है, वहां के संसदीय कार्यालय में जिसका मुखिया क्लार्क होता है, जो कि हमारे यहां महासचिव होता है, का कार्यक्षेत्र महत्वपूर्ण एवं व्यापक है। यू.के. पार्लियामेंट में भी हर विभाग के अलग-अलग सचिव होते हैं जो कि सिविल सर्विसेज से होते हैं उन्हें क्लार्क कहा जाता है। हमारे यहां महासचिव की पार्लियामेंट कार्यवाही और उससे संबंधित रिकार्ड के प्रति जवाबदेही होती है और साथ ही पार्लियामेंट आफिस में कार्यरत कर्मचारियों का भी इंचार्ज होता है।

जहां तक वेस्टमिनस्टर में निजी सचिवों की कार्यप्रणाली का प्रश्न है,वह हमारे यहां की निजी सचिवों की कार्यप्रणाली से बिल्कुल भिन्न है। ब्रिटेन में क्लार्क (Clerk) के निजी

सचिव आशुलिपिक कार्य, टेलीफोन्स अटेंड करना, मिलने वालों का समय निर्धारण करना आदि कार्यों के अतिरिक्त पार्लियामेंट का भी विशेष ध्यान रखते हैं और निजी कार्यों के साथ-साथ समय समय पर अपने विचारों से भी क्लार्क को अवगत करा सकते है या फिर यह कहें कि संबधित विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जहां तक हाउस ऑफ लार्डस

में समितियों के सभापतियों के साथ कार्यरत निजी सचिवों की बात है वे सभापति के निजी कार्यों के अतिरिक्त पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली की भी जानकारी रखते हैं और समिति में हो रही कार्यवाही पर भी अपने विचारों को सभापति के सामने रख सकता है। हमारे जहां निजी सचिवों का कार्यक्षेत्र सीमित है । समिति में हो रही कार्यवाही में वह अपने विचार नहीं रख सकता और न ही सभापति को अपनी कोई राय दे सकता है ।

एक दिन हमें मिलबैंक जाने का मौका मिला । वहां हम जॉन मिलर, डायरेक्टर PICT से मिले । उन्होंने इलेक्ट्रानिक मीडिया, इंटरनेट आदि के बारे में बताया । वहां संसद सदस्यों को सभी जानकारी इंटरनेट पर ही दी जाती है । सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ब्रिटेन हमसे काफी आगे है और इसका सीधा असर वहां की संसदीय कार्यप्रणाली में देखा जा सकता है ।

जहां तक वाच एण्ड वार्ड का प्रश्न है, वहां के वाच एण्ड वार्ड में कार्य करने वालों (जिन्हें Serjeant कहते है), का ज्ञान हमारे यहां के वाच एण्ड वार्ड में कार्यरत कर्मचारियों से कहीं अधिक है। वेस्टमिनस्टर में दोनों सदनों, वेस्टमिनस्टर हाल, वेस्टमिनस्टर महल वहां पर लगे विभिन्न मूर्तियां, चित्र तथा अन्य पुरातत्व से संबंधित सभी चीजों की विस्तृत जानकारी देने के लिए गाइडों की विशेष व्यवस्था है । यह गाइड संसदीय प्रणाली तथा वहां के इतिहास तथा संस्कृति आदि की विस्तार से जानकारी रखते हैं और आगन्तुकों को, जो संसद देखने आते हैं, सभी जानकारियों से पूर्णतया अवगत कराते हैं । यह एक अच्छी व्यवस्था है । हमारे जहां वाच एण्ड वार्ड विभाग में इस प्रकार के गाइडों की नियुक्ति एक

अच्छी पहल होगी ताकि हमारे यहां जो संसद देखने आते हैं जिनमें देश विदेश के सभी लोग, स्कूल के बच्चे और जो रिसर्च स्कालर आते हैं, उनको संसदीय लोकतंत्रीय पद्वति पर आधारित संसदीय पद्धति, संसद भवन के गुम्बद में वर्णित वेद और अन्य साहित्यों से लिये
श्लोक संसद के अंदर लगे अनेक प्रकार के चित्र और उनकी पृष्टभूमि और अनेक महाविभूतियों के चित्र और मूर्तियां जो लगी हुई हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दे सकें।
जब हम वेस्टमिन्स्टर हॉल देखने गये तो वहां के वाच एण्ड वार्ड के कर्मचारियों ने वहां पर लगे चित्रों, मूर्तियों और पुरात्तव से संबंधित विभिन्न चीजों की विस्तृत जानकारी दी । चित्रों में वर्णित तत्कालीन समस्याओं एवं पृष्टभूमि का विस्तार से वर्णन किया । जबकि हमारे यहां के वाच एण्ड वार्ड के कर्मचारियों को पार्लियामेंट में लगी मूर्तियों और चित्रों में दर्शायी गई तत्कालीन समस्याओं एवं पृष्टभूमि का ज्यादा ज्ञान नहीं होता।

एक सप्ताह के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विषयों पर विस्तार पर चर्चा हुई । हमने ब्रिटेन की संसदीय प्रशासनिक कार्यप्रणाली और हाउस ऑफ कामन्स और हाउस ऑफ लार्डस की कार्यप्रणाली को समळाा । विभिन्न विषयों को समळाने का हमारे लिए

यह एक बहुत अच्छा अवसर था और इससे हमारा ळान भी बढ़ा । अभी तक जो कुछ हमने किताबों में पढ़ा था उसे अपनी आंखों से देखने का अनुभव काफी रोमांचकारी था ।

हमारी यह यात्रा शैक्षणिक के साथ-साथ मनोरंजक भी रही । हमें लंदन जैसे मनोरम एवं सुन्दर देश को देखने का मौका मिला । लंदन वास्तव में बहुत ही सुन्दर देश है, उसकी खुबसूरती ने मेरे मन को मोह लिया । प्रशिक्षण कार्यक्रम सुबह 9.30 बजे से 6.00 बजे तक

चलता था । इसलिए हमने शनिवार और रविवार को घूमने का कार्यक्रम बनाया । शनिवार को हमने एक टूरिस्ट बस की और विन्डसर पैलेस, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी एवं स्टोन हैंज जैसे पर्यटन स्थलों का दौरा किया और रविवार को हमने ब्रिटिश म्यूजियम देखा । इससे पहले जब मैं लंदन गई थी तो हमने वहां कई पर्यटन-स्थल देखे जैसे - बकिंघम पैलेस (जहां क्वीन रहती है), हाइड पार्क (Hyde Park), Madam Taussad Museum, जहां मोम से बने जानी मानी हस्तियों के पुतले बने हुये हैं जो देखने में सजीव लगते हैं लगता है अभी बोल पडेंगे । वहां की परिवहन व्यवस्था काबिलेतारिफ है । Tube(मैट्रो) वहां की लाइफलाइन है । मेरी आंटी वहां रहती है । उनसे मुळो लंदन के बारे में बहुत सी जानकारियां मिली । उन्होंने बताया कि वहां के लोग समय के बहुत पाबंद हैं । स्वच्छता, अनुशासन और समय की पाबंदी वहां के लोगों की खास विशेषता है।

मुळो यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब मैं पहली बार 2005 में लंदन गई थी तो वहां की खूबसूरती एवं स्वच्छता देखकर मैं दंग रह गई थी, लेकिन अब जब मुळो दोबारा वहां जाने का मौका मिला तो हमने पाया कि हमारा देश भी अब किसी से कम नहीं । अब तो मैं भी

गर्व से कह सकती हूं कि वहां की मैट्रो की तरह ही यहां भी मैट्रो हमारी लाइफलाइन है हमारे यहां के भी हवाई अड्डे यूरोप की तरह ही खूबसूरत एवं स्वच्छ हैं । जब मैं पहली बार लंदन गई थी तो मुळो लगा कि हमारा देश खूबसूरती एवं स्वच्छता की दृष्टि से बहुत पीछे हैं लेकिन इन पांच-छ: सालों में हमारे यहां भी हर क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है और मैं गर्व से कह सकती हूं कि "मेरा भारत महान" ।

मैं हाईकमीशन के लोगों का धन्यवाद करती हूं । हम जब वहां हिथ्रो एयरपोर्ट पहुंचे तो हमें हाई कमीशन के लोग लेने आये हुये थे और वापिसी पर उन्होंने हमें होटल से एयरपोर्ट तक पहुंचाने की व्यवस्था की इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। इसके साथ ही मैं अपने सभी साथियों का आपसी सहयोग के लिए धन्यवाद करती हूं, खासकर मैडम वंदना जी का । उनके साथ रह कर मैं उनको करीब से जान पाई हूं । उनके बारे में जितनी प्रशंसा की जाये, कम है । आफिस के कार्य में तो वे पारंगत है ही, इंसानियत उनमें कूट-कूट के भरी है । वे बहुत ही मिलनसार एवं मृदुभाषी हैं ।

अंत में मैं चाहूंगी कि यह जो परम्परा सभी केडर के कर्मचारियों को भेजने की शुरू की गई है, यह निरंतर चलती रहे ताकि सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके ।

(ऊषा ढींगरा)
संयुक्त निदेशक (पीएसएस)